42

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय-रायपुर

कमांक 2344 /एल 2-2/2010/वित्त/ब-4/चार, रायपुर, दिनांक 12-03-2012

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
....विभाग
मंत्रालय, रायपुर ।

विषय:-वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे हेतु जानकारी महालेखाकार कार्यालय को भेजने बाबत् ।

विषयांतर्गत महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, रायपुर से प्राप्त पत्र कमांक रिपोर्ट (वित्त)/एफ-61(II) /2010-11/295 दिनांक 31.1.2011 की छायाप्रति संलग्नकों सहित संलग्न है । महालेखाकार कार्यालय द्वारा वर्ष 2010-11 में वित्त लेखे शामिल करने हेतु विभागों से प्राप्त छ:प्रपत्रों की जानकारी में कतिपय विभागों द्वारा प्रेषित जानकारी में पायी गई कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है । वर्ष 2011-12 के लिए भी पूर्वानुसार छ:प्रपत्रों में जानकारी महालेखाकार को निर्धारित समय सीमा में प्रेषित किया जाना है । प्रपत्रों का विवरण निम्नानुसार है-

1. आफ बजट दायित्वों तथा 31 मार्च की स्थिति में भुगतान हेतु बकाया बिलों से संबंधित जानकारी- (**प्रपत्र 1 एवं 2**)
2. कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व की वसूली हेतु बकाया राशि की जानकारी - (**प्रारूप-3 एवं 3(क)**)
3. बैंक खातों में रखी गयी सरकारी राशि (**प्रपत्र 4 एवं 6**)
4. पंचायती राज संस्थाओं को देय बकाया अनुदान - (**प्रपत्र 5**)

कृपया प्रपत्रों को भरनें के लिए दिये गये निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे हेतु उपरोक्त छ:प्रारूप पर जानकारी दिनांक 30 जून, 2012 तक महालेखाकार कार्यालय में श्रीमती स्निग्धा मुखर्जी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, रिपोर्ट (वित्त) के नाम पर भिजवानें हेतु संबंधित अधिकारियों को यथोचित निर्देश देने का कष्ट करें ।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार 6 प्रपत्र

05/3/12
(सी.जे.खत्री)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

पृ.कमांक 2345/एल 2-2/2010/वित्त/ब-4/चार, रायपुर, दिनांक 12-03-2012

प्रतिलिपिः-

1. **समस्त विभागाध्यक्ष,** छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, रायपुर से प्राप्त पत्र कमांक रिपोर्ट (वित्त)/एफ-61(II) /2010-11/295 दिनांक 31.1.2011 की छायाप्रति संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे हेतु उपरोक्त छःप्रारूप पर जानकारी 30 जून, 2012 तक महालेखाकार कार्यालय के श्रीमती स्निगधा मुखर्जी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, रिपोट (वित्त) के नाम पर भिजवाने का कष्ट करें ।

2. **महालेखाकार,** लेखा एवं हकदारी, रायपुर को उनके पत्र कमांक रिपोर्ट (वित्त)/एफ-61(II) /2010-11/295 दिनांक 31.1.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार 06 प्रपत्र

(स.क. 01 के लिए)

5/3/12

(प्रशांत लाल)

शोध अधिकारी, वित्त विभाग

(31)

क्रमांक / रिपोर्ट (वित्त) / एफ–61(II) / 2010–11 / 295

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL,
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT) CHHATTISGARH, RAIPUR

सत्यमेव जयते

दिनांक : 31.1.12
Date :

प्रति,

श्री सी.जे. खत्री
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त एवं योजना विभाग,
डी.के.एस. भवन, मंत्रालय,
रायपुर

जावक क्र. 1448 सं.स./वित्त दिनांक 1-2-12 2011

पंजी क्रमांक 587 ब-4/ चार / वित्त / 20 दिनांक 06-02-12

विषय : वर्ष 2010–11 के वित्त लेखे हेतु प्राप्त की गई छः अतिरिक्त जानकारी विषयक।

महोदय,

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय के निर्देशानुसार वर्ष 2010–11 के वित्त लेखे में छः अतिरिक्त जानकारी सम्मिलित की जानी थी जिसके संबंध में इस कार्यालय के पत्र कमांक /रिपोर्ट (वित्त) / एफ–61(II) / 2010–11 / 167 दिनांक 11.07.2011 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार अनेक विभागों द्वारा वांछित जानकारी इस कार्यालय को भेजी गई जिसे वर्ष 2010–11 के वित्त लेखे में सम्मिलित किया गया।

विभिन्न विभागों से प्राप्त जानकारी की जॉच करने पर निम्नलिखित कमियॉं पाई गई।

(1) कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व की वसूली हेतु बकाया राशि की जानकारी :– करेत्तर राजस्व की बकाया राशि की जानकारी कई विभागों द्वारा दी गई जिसे वर्ष 2010–11 के वित्त लेखे में सम्मिलित की गयी किन्तु कर राजस्व की बकाया राशि की जानकारी एक विभाग (विद्युत कर) को छोड़कर अन्य विभागों से प्राप्त नहीं हुई। अन्य प्रमुख कर राजस्व जैसे–होटल प्राप्ति कर, भू राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, विक्रय, व्यापार आदि पर कर, वाहन कर माल तथा यात्री कर इत्यादि की जानकारी वित्त लेखे के अंतिम रूप दिये जाने तक प्राप्त नहीं हुई थी। वाणिज्यिक कर की बकाया राशि की जानकारी विलम्ब से नवम्बर माह में प्राप्त हुई, जिसे वित्त लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा दी गई जानकारी विभागीय स्तर पर संकलित नहीं की गई थी जैसे लोक निर्माण विभाग के विभिन्न संभागों द्वारा पृथक–पृथक रूप में जानकारी भेजी गई थी। वस्तुतः वित्त लेखे में सम्मिलित करने हेतु जानकारी बजट नियंत्रण अधिकारी स्तर पर नहीं दी गई है।

कृपया समस्त कर/राजस्व संग्रहण विभागों को दिनांक 31.03.2012 की स्थिति में वसूली हेतु बकाया कर एवं करेत्तर राजस्व (विवादित एवं अविवादित) की राशि की जानकारी बजट नियंत्रण अधिकारियों के स्तर पर संकलित कर जून 2012 तक एकजाई कर इस कार्यालय को भेजने हेतु उचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

पृ.क...2

(2) **पंचायती राज संस्थाओं को देय बकाया अनुदान–** इसके अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष के अंत में पर्याप्त बजट आवंटन के अभाव में या अन्य किसी कारणवश उत्पन्न हुए देय अनुदान की बकाया राशि (Arrears of Gant-in-aid to Panchayati Raj Institutions) की जानकारी सम्मिलित की जानी है।

उल्लेखनीय है कि उक्त वांछित जानकारी संबंधित विभागो जैसे पंचायत एवं ग्रामीण विकास, समाज सेवा, खनिज विभाग इत्यादि से प्राप्त नहीं हुई थी तथापि वर्ष 2010–11 के वित्त लेखे में विभाग द्वारा जारी की गई स्वीकृति के आधार पर दो योजनाएं 1) इंदिरा आवास योजना तथा 2) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत क्रमशः रू 7.52 करोड़ तथा 4.90 करोड़ जिला पंचायतो को बकाया अनुदान देय होना दर्शाया गया।

कृपया संबंधित विभाग को 31.03.2012 की स्थिति में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को देय बकाया अनुदान की एकजाई जानकारी जून 2012 तक तैयार कर इस कार्यालय को भेजने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(3) **<u>बैंक खातो में रखी गयी सरकारी राशि</u>** :– इसके अन्तर्गत 31.3.2011 की स्थिति में संबंधित विभाग के बजट नियंत्रण अधिकारियों एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कोषालय से धन आहरित कर अपने पदनाम से खोले गये खाते में जमा की गयी राशि की जानकारी सम्मिलित की जानी थी तथा ऐसे प्रकरण जिसमें आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कोषालय से धन आहरण पश्चात् संबंधितों को भुगतान किये जाने हेतु किसी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी (प्रिंसिपल/हेडमास्टर इत्यादि) के खाते में राशि जमा कराई जाती हो, तो उन कर्मचारी/अधिकारी के पदनाम से खोले गये बैंक खातों में 31.3.2011 की स्थिति में जमा की गई राशि की जानकारी भी सम्मिलित की जानी थी। यह राशि केवल समेकित निधि से आहरित राशि से संबंधित होना चाहिए।

वर्ष 2010–11 के वित्त लेखे हेतु केवल कुछ जिला पंचायतो के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से जानकारी प्राप्त हुई थी किन्तु पंचायती राज संस्थाओं के आय तथा व्यय के विस्तृत लेखे सरकारी लेखे में सम्मिलित न होने के कारण जिला पंचायतो द्वारा सूचित बैंक में रोकड़ शेष की जानकारी को इस वर्ग में सम्मिलित नहीं किया गया।

आपसे निवेदन है कि समस्त विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें ताकि वर्ष 2011–12 के वित्त लेखे में इनसे संबंधित जानकारी सम्मिलित की जा सके।

(4) आफ बजट दायित्वो; Funds operated outside Government Accounts तथा 31 मार्च की स्थिति में भुगतान हेतु बकाया बिलों से संबंधित दायित्व की जानकारी निरंक प्राप्त होने के कारण वर्ष 2010–11 के वित्त लेखे में सम्मिलित नहीं की गई है।

वर्ष 2011–12 के वित्त लेखे हेतु उपरोक्त छः विषयों पर जानकारी इस कार्यालय में 30 जून 2012 तक निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में उक्त जानकारियों को वर्ष 2011–12 के वित्त लेखे में सम्मिलित की जाना संभव होगा। अतः बजट नियंत्रण अधिकारियों से उक्त तिथि तक वांछित जानकारी विहित प्रारूप में इस कार्यालय के ***श्रीमती स्निग्धा मुखर्जी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, रिपोर्ट (वित्त)*** के नाम पर भिजवाना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें। (छ' विषयों पर जानकारी भेजने हेतु प्रारूप तथा प्रत्येक परिशिष्ट से संबंधित दिशानिर्देश की प्रति संलग्न हैं)

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा उक्त छः परिशिष्ट की जानकारी से संबंधित यदि कोई अतिरिक्त दिशानिर्देश प्राप्त होते है तो तदनुसार सूचित किया जायेगा।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता देवें।

भवदीय,

संलग्न–उपरोक्तानुसार

उपमहालेखाकार (लेखा)

छः परिशिष्टों की जानकारी पूर्ण करने हेतु दिशानिर्देश

इस कार्यालय के पत्र कमांक रिपोर्ट (वित्त) / एफ–61(II) / 2010–11 / डी–167 दिनांक 11.07.2011 के संदर्भ में जारी –

(1) **आफ बजट दायित्वो (Details of off budget liabiliies)**– इस category में राज्य शासन के ऐसे सव्यवहार को सम्मिलित किया जाना है जहाँ शासन द्वारा कार्पोरेशन / कम्पनियों को किसी राशि का भुगतान किया जाना था किन्तु तत्समय विपरीत वित्तीय परिस्थितिवंश भुगतान नहीं किया गया है, एव इसके ऐवज में राज्य शासन द्वारा उन कार्पोरेशन / निगमों को दीर्ध कालीन प्रतिकार एवं अन्य बंध पत्र (Bonds) जारी किया गया है एवं राज्य शासन द्वारा बंध पत्र की निर्धारित अवधि के पश्चात भुगतान किया जाता है। – उदाहरण– राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं बिजली बोर्ड को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत subsidy प्रदान की जाती है। यदि राज्य शासन द्वारा नगद में Subsidy प्रदान न किया जा कर राज्य सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं बिजली बोर्ड को दीर्ध कालीन प्रतिकार एवं अन्य बंध पत्र (Bonds) जारी किये जाते है तो ऐसे संव्यवहारों को off budget liabilities के रूप में दर्शाना जाना चाहिए।

केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न तेल कम्पनियों एवं उर्वरक कम्पनियों को देय सबसिडी के रूप में जारी किये गये बान्ड off budget liabilities के अन्तर्गत आता है।

(2) **Funds operated outside Government Accounts** – इस जानकारी में राज्य शासन के अन्तर्गत कार्यरत नियामक आयोग / अभिकरण / संस्थाएं द्वारा प्राप्त किये गये राजस्व (जैसे फीस, जुर्माना आदि) जो उनके गठन संबंधी अधिसूचना / अध्यादेश अनुसार राज्य सरकार के खाते में जमा कराये जाने थे किन्तु जमा नहीं कराये गये है ऐसी जानकारी सम्मिलित किया जाना है।

(3) **कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व की बकाया राशि (Arrears of tax and non tex revenue)**– इस जानकारी के अंतर्गत कर एवं राजस्व की बकाया राशि (विवादित एवं अविवादित) का विवरण सम्मिलित किया जाना है।

(4) **31 मार्च 2012 की स्थिति में भुगतान हेतु बकाया बिलों से संबंधित दायित्व (Liablitiy on account of Unpaid bills)**– इस जानकारी के अंतर्गत राज्य शासन के विभागों द्वारा 31.03.2012 की स्थिति में निर्माण कार्यो एवं प्रदाय साम्रगी देयको का भुगतान नहीं किये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न दायित्व की जानकारी सम्मिलित की जानी है।

(5) **पंचायती राज संस्थाओं को देय बकाया अनुदान**– इस जानकारी के अंतर्गत पंचायती राज सस्थाओं को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत देय अनुदान की बकाया राशि संम्मिलित की जानी है। वर्ष के अन्त में यदि पर्याप्त बजट के अभाव में किसी चालू वर्ष में किये जाने वाले व्यय को आगामी वर्ष के बजट से भुगतान किया जाता है तो ऐसी बकाया राशियों को भी सम्मिलित किया जावे। उदाहरणार्थ प्रत्येक वर्ष में केन्द्र प्रवर्तित योजना में राज्य शासन का हिस्सा जिला पंचायतों को भुगतान किया जाता है। यदि राज्य शासन के हिस्सा का भुगतान पर्याप्त बजट के अभाव में उसी वित्तीय लेखा वर्ष में न किया जाकर आगामी वर्ष के बजट से भुगतान किया जाता है तो ऐसी राशियों को पंचायती राज सस्थाओं को देय बकाया अनुदान के रूप में संम्मिलित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के अतिरिक्त शासन को प्राप्त खनिज रायल्टी एवं भूमि पंजीकरण राशि से पंचायतो को देय अनुदान की दिनांक 31.03.2012 तक की बकाया राशि भी शामिल होगी।

(6) **दिनांक 31.03.2012 की स्थिति में आहरण संवितरण अधिकारियों के पदनाम से खोले गये बैक खातो में जमा राशि** – इस जानकारी में 31.3.2012 की स्थिति में विभाग से संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कोषालय से धन आहरित कर अपने पदनाम से खोले गये खाते में जमा की गयी राशि की जानकारी सम्मिलित किया जाना है तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कोषालय से धन आहरण पश्चात् संबंधितों को भुगतान किये जाने हेतु किसी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी (प्रिंसिपल/हेडमास्टर इत्यादि) के खाते में राशि जमा कराई जाती है तो उन कर्मचारी/अधिकारी के पदनाम से खोले गये बैंक खातों में 31.3.2012 की स्थिति में जमा की राशि की जानकारी भी सम्मिलित किया जावे।

इस में राज्य की संचित निधि से आहरित धनराशि सम्मिलित किया जावे।

जानकारी विभागवार संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपने अधिनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारी/विभागीय अधिकारी से प्राप्त कर वांछित जानकारी सत्यापित कर समेकित जानकारी इस कार्यालय को भेजने की व्यवस्था करें।

वरि. लेखा अधिकारी/रिपोर्ट (वित्त)

1. Detail of Off Budget Liabilities as on 31-03-2012
दिनांक 31.03.2012 की स्थिति में ऑफ बजट दायित्वों की जानकारी

(₹ in Crore)

Nature of Off Budget Liabilities, if any ऑफ बजट दायित्वों की प्रकृति, यदि कोई हो	Amount of Liability as on 31-03-2012 दिनांक 31.03.2012 की स्थिति में दायित्वों की राशि	Year Wise Break up of amount राशि का वर्षवार विवरण	Remarks (if any) अभ्युक्ति (यदि कोई हो)

Signature of Head of Department
Phone No./Fax No.
Office Address

2. Details of Funds operated outside Government Accounts
शासकीय लेखों से बाहर परिचलित धनराशि की जानकारी

(₹ in lakh)

Name of the Department विभाग का नाम	Name of the Regulatory authority/agency/bodies नियामक प्राधिकरण / ऐजेंसी / निकाय का नाम	Amount received but not credited to Government account as on 31-03-2012. दिनांक 31.03.2012 की स्थिति में प्राप्त राजस्व किन्तु शासन के खाते में जमा नहीं की गई धन राशि की जानकारी

Signature of Head of Department
Phone No. and Fax No
Official Address

FORMAT 3—TAX REVENUE RAISED BUT NOT REALISED AS ON 31-03-2012

प्रारूप–3–दिनांक 31.03.2012 को देय कर राजस्व जो वसूल नहीं किया जा सका

(₹ in Crore)

Major Head मुख्य शीर्ष	Description विवरण	Amount under Dispute विवाद के अधीन राशि					Amounts not under dispute अविवादित राशि					Grand Total महायोग	Remarks (if any) अभ्युक्ति
		Over 1 year but less than 2 year एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष से कम	Over 2 year but less than 5 year दो वर्ष से अधिक लेकिन पांच वर्ष से कम	Over 5 year but less than 10 year पांच वर्ष से अधिक लेकिन दस वर्ष से कम	Over 10 year दस वर्ष से अधिक	Total योग	Over 1 year but less than 2 year एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष से कम	Over 2 year but less than 5 year दो वर्ष से अधिक लेकिन पांच वर्ष से कम	Over 5 year but less than 10 year पांच वर्ष से अधिक लेकिन दस वर्ष से कम	Over 10 year दस वर्ष से अधिक	Total योग	(7+12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर

Signature of Head of Department

Phone No. and Fax No.

Official Address

वित्त/ब-4

6

38

FORMAT 3(a)—ARREARS OF NON TAX REVENUE AS ON 31-03-2012

प्रारूप–3 (क)–दिनांक 31.03.2012 की स्थिति में करेतर राजस्व बकाया की जानकारी

(₹ in Crore)

Major Head and Description मुख्यशीर्ष एवं विवरण	0-1 year 0 से 1 वर्ष	1-2 year 1 से 2 वर्ष	2-3 year 2 से 3 वर्ष	3-5 year 3 से 5 वर्ष	Above 5 years 5 वर्ष के उपर	Total योग	Remarks (if any) अभ्यूक्ति

विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर
Signature of Head of Department
Phone No. and Fax No.
Official Address

(39)

4. Liability on Account of Unpaid Bills as on 31-03-2012

दिनांक 31.03.2012 को भुगतान हेतु लम्बित देयको की जानकारी

(₹ in Crore)

Name of the Department विभाग का नाम	Amount of bill received up to 31-03-2012 but not paid दिनांक 31.03.2012 तक प्राप्त लेकिन भुगतान नहीं किये गये देयको की राशि	Reasons for non -payment भुगतान नहीं किये जाने के कारण	Major Head in which the amount of unpaid bill is to be debited during 2012-13 लम्बित देयको को वर्ष 2012–13 के दौरान डेबिट किये जाने वाले मुख्यशीर्ष की जानकारी	Remarks if any अभ्यूक्ति

विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर
Signature of Head of Department
Phone No. and Fax No.
Official Address

5. Arrears of Grants to Panchayati Raj Institutions as on 31-03-2012

दिनांक 31.03.2012 की स्थिति में पंचायती राज संस्थाओ को देय अनुदान के बकाया की जानकारी

(₹ in Crore)

Name of Zilla Panchayat जिला पंचायत का नाम	Name of the Scheme योजना का नाम	Amount of Arrears of Grants payable to Zilla Panchayat upto 31-03-2012 दिनांक 31.03.2012 तक जिला पंचायत को देय अनुदान की बकाया राशि	Yearwise Breakup of arrears of Grants to Panchayati Raj Instituions अनुदान की बकाया राशि की वर्षवार जानकारी	Remarks (if any) अभ्यूक्ति (यदि कोई हो)

विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर
Signature of Head of Department
Phone No. and Fax No.
Official Address

41

6. Details of Moneys kept in Bank Accounts as on 31-03-2012

दिनांक 31.03.2012 की स्थिति में बैंक खाते में जमा शासकीय राशि की जानकारी

(₹ in Lakh)

Name of the Department and Budget Controlling Officer विभाग एवं बजट नियंत्रण अधिकारी का नाम	**Amount drawn and kept in the bank account by DDO/Other officers as on 31-03-2012(*)** दिनांक 31.03.2012 की स्थिति में बैंक खाते में जमा शासकीय राशि	**Remarks (if any)** अभियुक्ति (यदि कोई हो)
(1)	(2)	(3)

(*) The amount kept in the bank account of DDO, Other Government Officers(Principal, Headmaster etc wherever applicable) as on 31-03-2012 may be compiled and certified by Budget controlling officer and the total amount may be shown in this column.

(*) इस कालम में दिनांक 31.03.2012 की स्थिति में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों एवं अन्य शासकीय अधिकारियो (प्राचार्य, प्रधान पाठक आदि, जो भी लागू हो) द्वारा बैंक में जमा शासकीय राशि को बजट नियंत्रण अधिकारियो द्वारा संकलित एवं प्रमाणित कर कुल बैंक जमा राशि दर्शाया जाना है।

Signature of Head of Department
Phone No. and Fax No.
Official Address